

DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

Dated: 17/1/18

Notification No.70/2017 – State Tax

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Thirteenth Amendment) Rules, 2017.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, -

(i) in **FORM GSTR-1**, for Table – 6, the following shall be substituted, namely: -

“6. Zero rated supplies and Deemed Exports

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export		Integrated Tax			Central Tax			State Tax/UT Tax			Cess
	No.	Date	Value	No.	Date	Rate	Taxable value	Amt.	Rate	Taxable value	Amt	Rate	Taxable value	Amt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6A. Exports															
6B. Supplies made to SEZ unit or SEZ Developer															

[illegible]

(ii) in FORM GST RFD-01, -

(a) in Table 7, in clause (h), for the words “Recipient of deemed export supplies/ Supplier of deemed export supplies” shall be substituted;

(b) after Statement 1, the following Statement shall be inserted, namely:-

“Statement 1A [rule 89(2)(h)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

[illegible]

(c) after Statement 5A, the following Statement shall be inserted, namely:-

“Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs)

Sl. No.	Details of invoices of outward supplies in case refund is claimed by supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient			Tax paid			
	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /Union Territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

(d) for the **DECLARATION [rule 89(2)(g)]**, the following shall be substituted, namely:-

“DECLARATION [rule 89(2)(g)]

(For recipient/supplier of deemed export)

In case refund claimed by recipient ☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the valid return filed for the said tax period. I also declare that the supplier has not claimed refund with respect to the said supplies.

In case refund claimed by supplier ☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed. I also declare that the recipient shall not claim any refund with respect of the said supplies and also, the recipient has not availed any input tax credit on such supplies.

Signature

Name –

Designation / Status

UNDERTAKING

I hereby undertake to pay back to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case it is found subsequently that the requirements of clause (c) of sub-section (2) of section 16 read with sub-section (2) of section 42 of the CGST/SGST Act have not been complied with in respect of the amount refunded.

Signature

Name –

Designation / Status”;

(iii) in **FORM GST RFD-01A**, -

(a) in Table 7, in clause (g), for the words “Recipient of deemed export”, the words “Recipient of deemed export/ Supplier of deemed export” shall be substituted;

(b) after the **DECLARATION [rule 89(2)(f)]**, the following shall be inserted, namely:-

“DECLARATION [rule 89(2)(g)]

(For recipient/supplier of deemed export)

In case refund claimed by recipient ☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the valid return filed for the said tax period. I also declare that the supplier has not claimed refund with respect to the said supplies.

In case refund claimed by supplier ☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the recipient shall not claim any refund with respect of the said supplies and also, the recipient has not availed any input tax credit on such supplies.

Signature

Name –

Designation / Status

UNDERTAKING

I hereby undertake to pay back to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case it is found subsequently that the requirements of clause (c) of sub-section (2) of section 16 read with sub-section (2) of section 42 of the CGST/SGST Act have not been complied with in respect of the amount refunded.

Signature

Name –

Designation / Status";

(c) after Statement 1, the following Statement shall be inserted, namely:-

“Statement 1A [rule 89(2)(h)]
Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

Sl. No.	Details of invoices of inward supplies received			Tax paid on inward supplies			Details of invoices of outward supplies issued			Tax paid on outward supplies		
	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State /Union territory Tax	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State /Union territory Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(d) after Statement 5A, the following Statement shall be inserted, namely:-

“Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs)

Sl. No.	Details of invoices of outward supplies in case	Tax paid
---------	---	----------

दिल्ली सचिवालय, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली

सं फा 3(77)/वित्त(राजस्व-1)/2017-2018/डीएस-VI/37

दिनांक: 17/1/18

अधिसूचना सं. 70/2017 - राज्य कर

सं फा 3(77)/वित्त(राजस्व-1)/2017-2018/- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (तेरहवाँ संशोधन) नियम, 2017 है ।
 - (2) ये 21 दिसम्बर 2017 से प्रवृत्त हुए माने जाएंगे ।
 2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 में, -
- (i) प्ररूप जीएसटीआर-1 में, सारणी-6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“6. शून्य दर पूर्तियां और समझे गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			शिपिंग बिल/निर्यात का बिल		एकीकृत कर			केंद्रीय कर			राज्यकर/संघ राज्यक्षेत्र कर			उपकर
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम	दर	कराधेय मूल्य	रकम	दर	कराधेय मूल्य	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6क. निर्यात															

[illegible]

(ii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01, -

(क) सारणी 7 में, खंड (ज) में, “समझे गए निर्यात का प्राप्तिकर्ता/समझी गई निर्यात पूर्तियों का पूर्तिकार” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) विवरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“विवरण 1क [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय किस्म : विपर्यस्त कर ढाँचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

क्रम सं.	प्राप्त पूर्तियों के आवक बीजकों के ब्यौरे	आवक पूर्तियों पर संदत्त कर	जारी जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे	जावक पूर्तियों पर संदत्त कर
----------	---	----------------------------	---	-----------------------------

सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												"

(ग) विवरण 5क के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय किस्म : समझे गए नियमितों के लेखे

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	पूर्तिकार द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय की दशा में आवक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे			संदत्त कर			
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8
							"

(घ) घोषणा [नियम 89(2)(छ)] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“घोषणा [नियम 89(2)(छ)]

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता/पूर्तिकार के लिए)

प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, घोषणा करता हूँ कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई वैध विवरणी में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है। मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि पूर्तिकार ने उक्त पूर्तियों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

पूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, घोषणा करता हूँ कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है। मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि प्राप्तिकर्ता उक्त पूर्तियों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और प्राप्तिकर्ता ने ऐसी पूर्तियों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय भी नहीं लिया है।

हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम / प्रास्थिति”;

वचनबंध

मैं एतद् द्वारा, वचन देता हूँ कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि रिफण्ड की गई राशि के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम / एससीजीएसटी अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के उपवाक्य (ग) में विनिर्दिष्ट अपेक्षायें पूरी नहीं हुई है तो मैं स्वीकृत रिफण्ड की राशि तथा साथ में उस पर लगने वाले ब्याज को लौटा दूंगा।

हस्ताक्षर

नाम--

पदनाम / प्रास्थिति";

(iii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क में,-

- (क) सारणी 7 में, खंड (छ) में, "समझे गए निर्यात का प्रासिकर्ता" शब्दों के स्थान पर "समझे गए निर्यातका प्रासिकर्ता/समझे गए निर्यात का पूर्तिकर्ता" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) घोषणा : [नियम 89(2)(च)] के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“घोषणा [नियम 89(2)(छ)]

(समझे गए निर्यात का प्रातिकर्ता/पूर्तिकार)

प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, घोषणा करता हूँ कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई वैध विवरणी में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है। मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि पूर्तिकार ने उक्त पूर्तियों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

पूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, घोषणा करता हूँ कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है। मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि प्राप्तिकर्ता उक्त पूर्तियों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और प्राप्तिकर्ता ने ऐसी पूर्तियों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय भी नहीं लिया है।

हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम / प्रास्थिति”;

वचनबंध

मैं एतद् द्वारा, वचन देता हूँ कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि रिफण्ड की गई राशि के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम / एससीजीएसटी अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के उपवाक्य (ग) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएँ पूरी नहीं हुई हैं तो मैं स्वीकृत रिफण्ड की राशि तथा साथ में उस पर लगने वाले ब्याज को लौटा दूँगा।

हस्ताक्षर

नाम--

पदनाम / प्रास्थिति";

(ग) विवरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“विवरण 1क [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय किस्म : विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

क्रम सं.	प्राप्त पूर्तियों के आवक बीजकों के व्यौरे			आवक पूर्तियों पर संदत्त कर			जारी जावक पूर्तियों के बीजकों के व्यौरे			जावक पूर्तियों पर संदत्त कर		
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												"."

(घ) विवरण 5क के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय किस्म : समझे गए निर्यातों के लेखे

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	पूर्तिकार द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में आवक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे			संदत्त कर			
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8
							"."

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

मि.सि. १
(ए० के० सिंह)

उप-सचिव-VI (वित्त)

सं फा 3(77)वित्त(राजस्व-1)/2017-2018/डीएस-VII/37

दिनांक: 17/1/18

प्रतिलिपि प्रेषित सूचनार्थ:-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज की तारीख में एक पृथक प्रति के साथ ताकि दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में इसे प्रकाशित किया जा सके।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ।
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, नेता विपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
8. अतिरिक्त सचिव, (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. वेबसाइट।
11. गार्ड फाइल।

अ(ग)री
(ए0 के0 सिंह)
उप-सचिव-VI (वित्त)